



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



12 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 9 राँची, मंगलवार,

2 जनवरी, 2024 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

29 दिसम्बर, 2023

संख्या-01/सा०स्था०(नियुक्ति)(स०अभि०)-12/2023 न०वि०आ०-5866--सहायक अभियंता
(असैनिक/यांत्रिक) सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-08/2018) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में श्री राकेश सिंह (अनुक्रमांक-18083677) गृह जिलापटना, बिहार को झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग में मूल कोटि के वेतनमान (रु० 9300-34,800/- ग्रेड पे-5400 रु०, सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेबल -9) में परीक्ष्यमान सहायक अभियंता (असैनिक) के रूप में औपबन्धिक रूप से नियुक्त किया जाता है।

क. श्री सिंह द्वारा अपना योगदान नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची चतुर्थ तल, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची में समर्पित किया जायेगा।

ख. इनकी परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी। संतोषप्रद सेवा नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

- ग. नियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग के कर्मी होंगे ।
- घ. इनकी वरीयता झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी । अधिसूचना का क्रम संख्या वरीयता सूची/मेधा क्रमांक नहीं है ।
- ड . श्री सिंह को अधिसूचना निर्गमन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से योगदान देना है। उपर्युक्त निर्धारित योगदान तिथि तक योगदान नहीं करने की स्थिति में इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।
- च. वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों में आंशिक विसंगतियाँ/त्रुटियाँ हैं, की नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि विसंगतियों का संतोषप्रद निराकरण योगदान के पूर्व करना सुनिश्चित करेंगे ।
- छ. समर्पित प्रमाण पत्रों की भविष्य में जाँचोपरान्त किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर उनकी नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जा सकती है ।
- ज. योगदान देते समय कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या-1919 दिनांक 28.01.1976 द्वारा दहेज न लेने से संबंधित घोषणा पत्र (प्रति संलग्न), अधिसूचना संख्या-5437 दिनांक-09.09.2010 एवं 9519 दिनांक 22.09.2010 के आलोक में चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा एवं असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे ।
- झ. योगदान के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति/ पूर्व सेवा से त्यागपत्र की प्रति अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा ।
- ञ. नियुक्ति विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-5817 दिनांक-03.05.1963 के आलोक में चरित्र प्रतिवेदन एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर एक महीने की सूचना पर सेवा समाप्त की जा सकती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोहर मराण्डी,
सरकार के अपर सचिव ।
